28.05.2024

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं का दौहरान करते हुये निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में खातेदार का पिता का नाम गलत दर्ज है। वादी के पिता का सही नाम गुल्लाराम है। मूलाराम के स्थान पर गुल्लाराम दुरूस्त किया जावे। साक्ष्य के रूप में वादी ने आधार कार्ड, पेन कार्ड , वोटर कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें वादी के पिता का नामं गुल्लाराम सही दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का भगेगा तथा प्रमाण पत्र पंचायत समिति सदस्य के अनुसार भी वादी के पिता का नाम गुल्लाराम सही होना बताया है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर वादी के पिता का नाम मूला के स्थान पर गुल्लाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात, रिपोर्ट पटवारी हल्का भगेगा जो तहसीलदार नीमकाथाना के माध्यम से प्राप्त हुयी है तथा पंचायत समिति सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र के प्रार्थी बाबूलाल के पिता का नाम शुद्ध व सही गुल्लाराम होना प्रमाणित होता है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि **राजस्व ग्राम भोमगढ पटवार हल्का भगेगा के भूमि खसरा नम्बर 435 रकबा 6.70 है0 की खातेदारी में दर्ज बाबूलाल पुत्र मूला के स्थान पर बाबूलाल पुत्र गुल्लाराम दुरूस्त किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज करे।** शेष रिकार्ड बदस्तुर रहे। आदेश की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निणर्य खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:48:13 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)